आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

01-11.2022

नामान्तरण अपील वाद सं0 15/2019–20

रैयाज अली प्रति जहुरन बीबी

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 432R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया एवं अंचल अंधिकारी से अभिलेख की मांग की गई। उभय पक्ष ने अपने–अपने विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया। अंचल अधिकारी से अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 ग्राम बरडीहा थाना नं0 131 अंचल वो थाना नगर उंटारी जिला गढ़वा के खाता सं0 7पुराना 14नया प्लॉट सं0 139पुराना 147नया रकबा 11 डीसमील, प्लॉट सं0 140पुराना 148नया रकबा 15 डीसमील, प्लॉट सं0 194पुराना 191नया रकबा 31 डीसमील, प्लॉट सं0 232पुराना 358नया रकबा 62 डीसमील, प्लॉट सं0 232पुराना 350नया रकबा 06 डीसमील (मकान) भूमि का मांग संयुक्त रूप से जगु मियां, भंगु मियां, खोदाई मियां, वो कुदरत मियां पिता सुदन मियां उर्फ अलियार मियां के नाम से मांगपंजी II के पृष्ट सं0 5 /1 पर चलता है। वर्तमान सर्वे में खतियान चारों मांगधारी रैयत के वंशजों के नाम से बना है। जगु मियां की वंश वृक्षावली निम्नांकित है:–

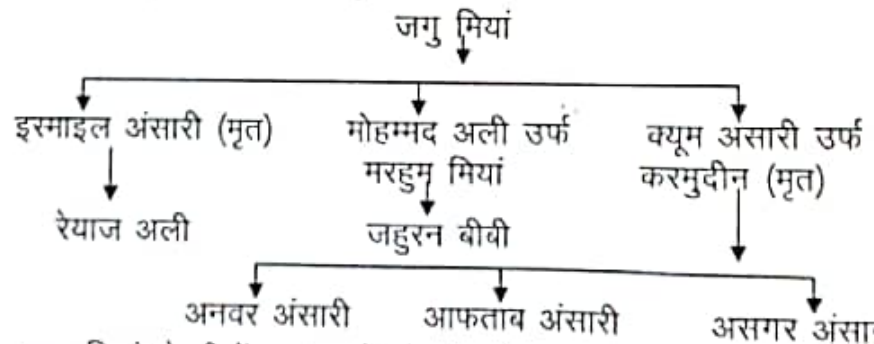

02 जगु मियां के तीनों पुत्र अपने मौरूपी भूमि का बंटवारा अपने जीवनकाल में ही कर लिये थे। बंटवारा में अपीलार्थी के पिता इरमाइल अंसारी को अन्य भूमि के साथ प्रश्नगत खाता सं0 7 प्लॉट सं0 139 रकबा 5 डीसमील तथा साविक प्लॉट सं0 140 रकबा 12 डीसमील भूमि हिस्सा में मीला था

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

जिसका वर्तमान सर्वे में नया खाता सं0 14 नया प्लॉट सं0 147 रकबा 11 डीसमील तथा प्लॉट सं0 148 रकबा 15 डीसमील बना है। साविक खाता सं0 7 साविक प्लॉट सं0 232पुराना 350नया रकबा 7 डीसमील (मकान मय सहन) क्यूम अंसारी को मिला था। जो क्यूम अंसारी के पुत्रों के बीच आपसी बंटवारा में अनवर अंसारी को मिला। वर्तमान में उस पर अनवर अंसारी का मकान है। अनवर अंसारी के द्वारा साविक प्लॉट सं0 232 रकबा 7 डीसमील भूमि अन्य भूमि के साथ निबंधित केवाला संख्या 6637 दिनांक 16.09.2011 के द्वारा सैदा बीबी पति अनवर अंसारी से बिक्री कर दिया गया। वर्तमान में केवाला के द्वारा खरीद भूमि का मांग सैदा बीबी के नाम से चल रहा है तथा उसका शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। विदित हो कि साविक खाता सं0 7 साविक प्लॉट सं0 139 एवं प्लॉट सं0 140 में एक इंच भूमि मोहम्मद अली उर्फ मरहुम मियां को प्राप्त नहीं है।

03 मोहम्मद अली के द्वारा निबंधित केवाला सं0 1204 दिनांक 01.09.2018 के द्वारा अन्य खाता प्लॉट की भूमि के साथ प्रश्नगत खाता सं0 7 प्लॉट सं0 139 रकबा 5 डीसमील प्लॉट सं0 140 रकबा 7 डीसमील एवं प्लॉट सं0 232 रकबा 6 डीसमील भूमि गलत ढंग से अपनी पत्नी जहुरन बीबी से बिक्री किया गया है जबकि उपरोक्त तीनों प्लॉट में न तो विक्रेता का एक इंच भूमि पर दखल कब्जा है और न तो क्रेता का ही दखल कब्जा है। केवाला सं0 1204 दिनांक 01.09.2018 के नामांतरण हेतु प्रत्यर्थी के द्वारा दायर आवेदन पत्र पर बिना समुचित ढंग से छानबीन किये बिना तथा सह–हिस्सेदार को सूचना निर्गत किये बिना ही अनुचित ढंग से नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को स्वीकृति करते हुए अंचल अधिकारी के नामांतरण वाद सं0 432R27/2019–20 में पारित आदेश को खारिज करने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 अपीलार्थी के द्वारा दायर अपील गलत तथ्यों पर आधारित है जो खारिज योग्य है।

02 अपीलार्थी ने ग्राम बरडीहा थाना नं0 131 अंचल वो थाना नगर उंटारी जिला गढ़वा के खाता सं0 7पुराना 14नया प्लॉट सं0 139पुराना 147नया रकबा 11 डीसमील, प्लॉट सं0 140पुराना 148नया रकबा 15 डीसमील, प्लॉट सं0 194पुराना 191नया रकबा 31 डीसमील, प्लॉट सं0 232पुराना 358नया रकबा 62 डीसमील, प्लॉट सं0 232पुराना 350नया

लगातार ....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

रकबा 06 डी0 (मकान) भूमि पर दायर किया गया है जो किसी भी दृष्टिकोण से ग्राहय नहीं है।

03 विषयवस्तु को समर्थन हेतु बंशावली जानना आवश्यक है।

जगु मियां

इस्माइल अंसारी (मृत) — मोहम्मद अली उर्फ मरहुम मियां — क्यूम अंसारी उर्फ करमुदीन (मृत)

04 प्रश्नगत भूमि जगु मियां की रैयती मौरूषी भूमि थी जिसमें सभी भाईयों का बराबर हिस्सा है। जगु मियां के पुत्र मोहम्दली मियां के केवाला सं0 1204 दिनांक 01.09.2018 से प्रत्यर्थी जहुरन बीबी से पुराना खाता स0 7 नया 14 पुराना प्लॉट सं0 139 नया 147 में रकवा 5 डीसमील पुराना प्लॉट सं0 140 नया 148 रकबा 7 डीसमील पुराना प्लौट सं0 194 नया 161 रकबा 11 डीसमील पुराना प्लॉट सं0 232 नया 350 रकबा 6डीसमील पुराना प्लॉट सं0 232 नया प्लॉट सं0 358 4.50 डीसमील प्लॉट सं0 पुराना 299 नया 331 रकबा 4 डीसमील प्लॉट सं0 पुराना 239 नया 301 रकबा 4.50डीसमील भूमि कुल 42डीसमील भूमि बिक्री कर दखल कब्जा सौंप दिया।

05 बिक्री के पूर्व विक्रेता का उक्त भूमि पर दखल कब्जा पर क्रय करने के पश्चात् प्रत्यर्थी का दखल कब्जा पाकर अंचल अधिकारी, नगर उंटारी ने प्रत्यर्थी के नाम से उक्त नामांतरण वाद को स्वीकृत कर लगान रसीद निर्गत किया है जो विधि सम्मत है।

06 अपीलार्थी का यह कथन कि प्रत्यर्थी के विक्रेता को उक्त प्लॉट में भूमि हिस्से में नही मिली थी यह कथन सरासर गलत है अपीलार्थी नें केवल न्यायालय को भ्रमीत करने के उद्देश्य से गलत प्रस्तुत किया है जिसका प्रत्यर्थी पूर्णतः खण्डन करते है।

07 जगु मियां की भूमि थी एवं जो बंशावली अपीलार्थी ने जो अपने अपील आवेदन में दर्शाया है उसको छोडकार अन्य सभी अपील आवेदन की कण्डिकाओं का प्रत्यर्थी खण्डन करते है।

08 अपीलार्थी को अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं पर यह सब प्रत्यर्थी को परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है। प्रत्यर्थी के केवाला पर अपीलार्थी को कोई आपति होती तो उसे निरस्त करने की कार्रवाई करते जो नही किया गया है। अगर करते भी तो वह वैधानिक नहीं होता।

10 प्रश्नगत भूमि पर प्रत्यर्थी का आज भी दखल कब्जा है अंचल अधिकारी के द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है आदेश विधि सम्मत है।

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी के नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी के नामांतरण वाद सं0 432R27/2019-20 में पारित आदेश को यथावत बहाल रखने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार हैः-

01 केवाला सं0 1204 की छायाप्रति .... 20 फर्द
02 पंजी II की छायाप्रति .... 01 फर्द
03 शुद्धि पत्र की छायाप्रति .... 01 फर्द
04 लगान रसीद की छायाप्रति .... 01 फर्द

उभय पक्ष के अधिवक्ता को सुनने तथा अपीलार्थी के द्वारा दाखिल अपील आवेदन पत्र तथा प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल प्रतित्युतर, संलग्न दस्तावेज के अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रत्यर्थी जहुरन बीबी पति मोहम्म्द अली को केवाला सं0 1204 दिनांक 01.09.2018 के द्वारा विक्रेता मोहम्मद अली पिता जगू मियां से प्रश्नगत भूमि प्राप्त है। जिसका ऑनलाईन दाखिल खारिज होकर लगान रसीद निर्गत है।

अपीलार्थी के द्वारा कोई दस्तावेज ऐसा नहीं प्रस्तुत किया गया जिससे उनका दावा प्रमाणित हो सकें। और ना ही बंटवारानामा एवं अपने नामे निर्गत लगान रसीद संलग्न नहीं किया गया है। चूँकि मांग संयुक्त में कायम है। अंचल अधिकारी ने दाखिल खारिज के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रत्यर्थी/क्रेता का दखल कब्जा है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी का अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 432R27/2019-20 में पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जाता है।

इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

आदेश प्रति अंचल अधिकारी नगर उंटारी को अनुपालन हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संशोधित।

01/XI

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

01/XI

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.10 15:13:23 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with CamScanner